फर्द अहकाम

नाम न्यायालय साप्पूराम बनाम गोकुल नारायण

केस संख्या 18/2013 /04/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	11/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। उप० बहस प्रा०पत्र धारा 144 व बहस अन्तिम आदेश हेतु पत्रावली वास्ते आदेश नियत 28/7/23 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	28/7/23	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रस्तुत प्रा० पत्र धारा 144 स्वीकार किया जाता है व वादी का वाद [illegible] रिपोर्ट अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली इन्द्राज से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्यामा राठौड़, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 04/2019
निर्णय दिनांक : 28.07.2023

1. साधुराम पुत्र गोदूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर,(मृतक दौराने दावा)
1/1 नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु 45 वर्ष,
1/2 रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु– 42 वर्ष,
1/3 मदन पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु–40 वर्ष,
1/4 गोपाल पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु 38 वर्ष,
1/5 सुरस्ती देवी पत्नी स्वर्गीय साधुराम आयु 65 वर्ष,
समस्त जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०
1/6 श्रीमती सूजी पुत्री स्वर्गीय साधुराम पत्नी श्री महादेव, आयु 55 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–दतौंला, गुर्जरों वाला, तहसील रामगढ़, जिला जयपुर, राज०
1/7 श्रीमती धौली पुत्री स्वर्गीय साधुराम, पत्नी श्री श्योनाथ, आयु–30 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नहर बढारना, हरमाडा, जिला जयपुर, राज०

वादीगण

बनाम

1. गोकुल नारायण पुत्र श्रीनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी सुरज्ञान गुर्जर, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बाबत तकासमा, हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत</u>
<u>धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2037 से 2040 के खाता संख्या 16/1 में आराजी खसरा नं. 304 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी नम्बर एक का बराबर बराबर हिस्सा दर्ज होकर दोनो उक्त आराजी खसरा के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। हाल वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त खसरा नम्बर 304 के हाल खसरा नम्बर 755 लगायत 763 व 291, 761/942 कुल किता ग्यारह एवं रकबा 4.21 हैक्टेयर दर्ज है जिनमें वादी एवं प्रतिवादी नं. एक की खातेदारी काश्तकारी बराबर बराबर दर्ज है जिसका आज दिन तक बंटवारा नहीं हुआ है जैसा कि पर्चा खतौनी में दर्ज है। प्रतिवादी नं. एक ने भू प्रबन्ध कर्मचारियान से साजकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के विपरीत अलग अलग खाते कायम करा लिए। भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार खाता विभाजन का कोई पैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी नम्बर एक ने नाजायज तौर पर कुल रकबा 4.21 हैक्टयर में से 2.56 हैक्टेयर भूमि अपने नाम पर दर्ज करा ली। यानि प्रतिवादी नं. एक ने आराजी खसरा नं. 756 लगायत 762 अपने खाते में दर्ज करा ली जिसका रकबा 2.56 हैक्टेयर है। शेष रकबा 1.65 हैक्टेयर वादी के नाम खाते में दर्ज करवा कर अलग अलग खाते कायम करा लिए जबकि मुताबिक रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर एक के हिस्से में 2.10 हैक्टेयर रकबा आता है, इसी प्रकार वादी के हिस्से में 2.11 हैक्टेयर रकबा आता है। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर एक ने अपने नाम पर 0.46 हैक्टेयर भूमि ज्यादा खातेदारी में नाजायज तौर पर वादी की जानकारी में लाए बिना चुपचाप दर्ज करा ली लेकिन मौके पर वास्तव में इस प्रकार के विभाजन की वादी ने कभी भी भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों की सहमति नहीं दी थी। इस प्रकार उक्त रिकार्ड ऑफ राईट में परिवर्तन करने का बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं है। बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रतिवादी नं. एक के पक्ष में निम्न आराजियात को आदेश दिनांक 21.7.89 के जरिए अंकित किया है। आराजी खसरा नम्बर 756 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नं 757 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं 758 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नं 759 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं 760 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नं 761 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं 762 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता सा[illegible] 2.56 हैक्टेयर। बन्दोबस्त विभाग ने बन्दोबस्त के वक्त वादी के नाम नामान्तरण संख्या 27[illegible] जारी [illegible] देश दिनांक 21.07.89 के अनुसार दर्ज की है :– आराजी खसरा नं. 291 रकबा 0.46 हैक्टेयर, [illegible] रकबा 0.22 हैक्टेयर, 763 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 761 रकबा 0.39 हैक्टेयर कुल किता चार क[illegible] रकबा 1.56 हैक्टेयर। बन्दोबस्त विभाग द्वारा मीसल नं. 95/89 में आदेश दिनांक 21.7.89 [illegible] प्रतिवादी नं एक के रिकार्ड ऑफ राईट में जो परिवर्तन किया है वो आदेश निम्न आधार [illegible], गलत एवं मनमाना घोषित किया जावे। वादी के अशिक्षित होने का फायदा प्रतिवादी नं एक ने अनुचित लाभ उठाने की गरज से ऐसा परिवर्तन वादी की सहमति होना बताकर गलत कराया है जबकि वादी को इसकी जानकारी होते ही वादी ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रिकार्ड की दुरुस्ती का प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 12.4.99 की प्रस्तुत किया तथा समस्या समाधान शिविर के समक्ष भी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। यह कि बन्दोबस्त विभाग की बन्दोबस्त के वक्त रिकार्ड ऑफ राईट की जैसी स्थिति होती है उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

को कायम रखना होता है। रिकार्ड ऑफ राईट में परिवर्तन करने का अधिकार बन्दोबस्त विभाग को नहीं है। बन्दोबस्त विभाग कर्मचारियों एवं अधिकारी ने यह परिवर्तन अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किया है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कभी भी इस तरह का विभाजन आज तक नहीं हुआ है और वादी ने भी कोई सहमति विभाजन हेतु नहीं दी। पत्रावली नं 95/89 में दिनांक 21.7.89 को वादी की सहमति गलत एवं फर्जी दिखाकर यह गलत आदेश दिया है। इसलिए यह परिवर्तन सम्बन्धी आदेश स्वतः गलत एवं अवैध हो जाता है। वादी अशिक्षित व्यक्ति है उसको बिना समझाये एवं सुनाये वादी का किसी लिखापढी पर अंगुठा लगवा लिया है तो उस लिखापढ़ी के आधार पर पारित यह आदेश स्वतः गलत एवं अवैध हो जाता है। आदेश बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी ने वादी की जानकारी में लाए बिना पारित किया है तथा उक्त आदेश में वादी की सहमति का पुष्ठाकंन भी अधिकारी ने गलत किया है। जो प्रतिवादी नम्बर एक को नाजायज फायदा और अपना नाजायज लाभ अर्जित करने के आशय से किया है। प्रतिवादी नम्बर एक ने आदेश दिनांक 21.7.89 के अनुसार जो आराजियात जमाबंदी वर्ष 2054 में प्रतिवादी नम्बर एक के नाम पर दर्ज होना अंकित है उनको प्रतिवादिया नम्बर दो को दिनांक 12.9.2005 को रुपया 4,85,000/- में विक्रय पत्र के जरिए विक्रय कर दी है, जबकि प्रतिवादी नम्बर एक को वाद पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित सभी आराजियात में अपना 1/2 हिस्सा विक्रय करने का अधिकार है लेकिन प्रतिवादी नम्बर एक विशिष्ट आराजियात को कानूनन विक्रय नहीं कर सकता इसके अलावा प्रतिवादी नम्बर दो को भी क्रय की गई आराजियात पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर दो अजनबी क्रेता है और प्रतिवादी नम्बर दो तब तक उक्त आराजियात पर कब्जा नहीं कर सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी नम्बर एक का हिस्सा विभाजन कराकर प्राप्त नहीं कर लेता। अतः प्रतिवादी नम्बर दो की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादी के कब्जे एवं खातेदारी की आराजियात के उपयोग एवं उपभोग में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाये। चूंकि संयुक्त खातेदारी कब्जे की आराजियात की एक एक इंच भूमि का उपयोग उपभोग करने का अधिकार वादी को है। प्रतिवादी नम्बर एक में यह भूमि बन्दोबस्त विमान के अधिकारी द्वारा अनधिकृत तौर पर पारित अवध एवं गलत आदेश दिनांक 21- 7.89 के आधार पर राजस्व रिकार्ड ऑफ राईट जमाबंदी में किए गए परिवर्तन के आधार पर विक्रय की है । प्रतिवादी नम्बर एक को संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराधना 1/2 हिस्सा तो विक्रय करने का अधिकार है लेकिन संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की विशिष्ट आराजियात को विक्रय करने का अधिकार नहीं है। विक्रय पत्र में अंकित विशिष्ठ आराजियात का कब्जा प्रतिवादी नम्बर एक प्रतिवादी नम्बर दो को नहीं दे सकता चूंकि वर्तमान में उक्त विक्रय की गई आराजियात में मौके पर वादी का 1/2 हिस्सा आज भी मौजूद है । प्रतिवादी नम्बर दो ने राजस्व रिकार्ड को भली भांति देखने का श्रम नहीं किया चूंकि प्रतिवादी नम्बर एक के हिस्से में 2.56 हैक्टेयर भूमि विभाजन से नहीं आती। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर दो इस भूमि की सदभावी क्रेता नहीं है। प्रतिवादी नम्बर दो भी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे की आराजियात में प्रतिवादी नम्बर एक के 1/2 हिस्से की आराजियात का कब्जा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके ही प्राप्त कर सकता है। इस अवैध एवं गलत विक्रय पत्र के आधार पर यदि वो बिना न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत कर कब्जा कर लेता है तो वो अतिक्रमी कहलाता है। प्रतिवादी नम्बर दो इस विक्रय पत्र की आड़ में प्रतिवादी नम्बर तीन के यहां नामान्तकरण खुलवाने की कोशिश में लगा है। यदि इस विक्रय पत्र के आधार पर विक्रीत आराजियात बाबत नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर तीन आराजियात बाबत नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर तीन द्वारा खोल दिया जाता है तो इससे मुकदमेबाजी बढेगी जबकि वादी ने प्रतिवादी नम्बर तीन से इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोलने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी नम्बर तीन ने यही जवाब दिया कि वो सक्षम न्यायालय से स्टे लाकर पेश करे। जबकि वाद लम्बित हो तो नामान्तकरण की प्रक्रिया समरी प्रोसीडिग्स की तारीफ में आती है ऐसी सूरत में नामान्तकरण की प्रोसीडिंग्स कानूनन स्टे कर देनी चाहिए ऐसी माननीय राजस्व मण्डल की भी मान्यता है इसलिए प्रतिवादी नम्बरतीनकी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि वो प्रतिवादी नम्बर दो द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करे तथा प्रतिवादी नम्बर दो को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो इस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण प्रतिवादी नम्बर तीन से नहीं खुलवाये। प्रतिवादीगण नम्बर एक एवं दो ने वादी को यह भी धमकी दिनांक 15.9.2005 से देना प्रारम्भ कर दिया है कि वो इस भूमि को अन्य सहकारी समितियां अन्य व्यक्ति को विक्रय करेगे। यदि प्रतिवादीगण नम्बर एक एवं दो इन आराजियात को किसी अन्य को विक्रय कर देते है तो इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी तथा वादी के इस प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होगा एवं वादी के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जबकि प्रतिवादी नम्बर एक एवं दो को उक्त आराजियात को विक्रय करने का अधिकार नहीं है अतः प्रतिवादी नम्बर एक एवं दो की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो इन आराजियात को जो वाद पत्र की चरण संख्या तीन में अंकित है को किसी अन्य की विक्रय पत्र, दान, पूण्य या अन्य किसी हस्तान्तरित विलेख द्वारा हस्तान्तरित न… वाद पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित , एक आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा… प्रा… नं. ले का 1/2 हिस्सा होकर वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त रूप से काबिज… बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 95/89 में पारित आदेश 21.7.89 के… वादी की सहमति से कोई विभाजन नहीं हुआ है यह आदेश फर्जी तौर पर वादी को धोखा… किया गया है। वादी वादी ने प्रतिवादी नं. एक को विभाजन हेतु कहा तो वो दिनांक 15.… की इन्कार हो गया। वादी माननीय न्यायालयं वर्णित आराजियात का मीटस एण्ड बाउटस के आधार पर विभाजन कराना चाहता है । अतः वाद में वर्णित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर एक में उनके हिस्से के अनुसार विभाजन व अलग अलग लगान कायम कर दिया जावे । वादी का वाद अर्जेण्ट नेचर का होने से यह वाद प्रतिवादी नम्बर तीन को धारा 80(2) दिवानी प्रक्रिया संहिता बिना नोटिस दिए ही प्रस्तुत कर दिया है तथा अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा… आमेर
मुख्यालय-जयपु…

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि वादी के इस अर्जेन्ट नेचर के वाद का प्रतिवादी नम्बर तीन को बिना नोटिस दिए पेश करने की अनुमति दी जावे और अनुमति मिलने की संभावना में यह वाद प्रस्तुत कर दिया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 10.10.2005 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। दिनांक 20.10.2005 को प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामिल उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 18.09.2006 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बंद किया गया। दिनांक 15.11.2016 को प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गई और पत्रावली वास्ते आदेश हेतु 23.11.2016 को नियत की गई। दिनांक 07.12.2016 को वादी के वाद को खारिज किया गया। दिनांक 07.01.2019 को पत्रावली न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा रिमॉड होने पर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 07.12.2016 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2, 1/2 हिस्से से संबंधित भूप्रबंध कार्यवाही से पूर्व की प्रविष्टी को बहाल किया गया है एवं पश्चातवर्ती इन्द्राज को प्रभाव शून्य घोषित किया गया है तथा न्यायालय हाजा को उभयपक्ष के मध्य विधिवत विभाजन हेतु निर्देशित किया गया है। पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई व तहसीलदार आमेर को विवादित भूमि के विधिवत विभाजन करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 30.09.2022 को तहसीलदार आमेर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2022/6952 दिनांक 23.09.2022 को कुर्रेजात रिपोर्ट 3 प्रतियों में मय नक्शे भिजवायी गयी जो पत्रावली में शामिल मिसल की गयी एवं पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात हेतु नियत की गई। दिनांक 18.11.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी व आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया। दिनांक 14.07.2023 को बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी व आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2005 प्रतिवादी संख्या 1 गोकूल नारायण के स्थान पर प्रतिवादिया संख्या 2 विमला देवी को प्रतिस्थापित किया जाता है। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 304 के हाल खसरा नम्बर 755 लगायत 763 व 291, 761/942 कुल किता ग्यारह एवं रकबा 4.21 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गोपाल पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	291	0.50	बारानी 2	2.00
2	नन्दाराम पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	755	0.22	बारानी 1	1.76
3	मदन पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार	761/942	0.39	बारानी 1	3.12
4	रामेश्वर प्रसाद पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	763	0.54	बारानी 1	4.32
	कुल योग	कुल किता 4	1.65		11.20
1	गोकुल नारायण पुत्र श्री नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहाम्ण सा.देह खातेदार (मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान के अनुसार नोट खसरा संख्या 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 पर स्थगन तह आदेश कमाक कोर्ट 13/1315 दिनांक 25.10.2013 नोट लगा हुआ है।)	756	0.60	बारानी 1	4.80
		757	0.22	बारानी 2	0.88
		758	0.22	बारानी 2	0.88
		759	0.23	बारानी 2	0.92
		760	[illegible]	[illegible] 1	3.04
		761	[illegible]	[illegible] 1	1.84
		762	[illegible]	[illegible] 1	5.44
	कुल योग	कुल किता 7	[illegible]		17.80
	दोनो खातो का कुल योग	कुल किता 11	4.21		29.00

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट [illegible]) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	साधूराम पुत्र गोदूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (फौत)	291	0.50	बारानी 2	2.00
		756/2	0.075	बारानी 1	0.60
		755	0.22	बारानी 1	1.76
		760	0.38	बारानी 1	3.04
		761/942	0.39	बारानी 1	3.12
		763	0.54	बारानी 1	4.32
	कुल योग	कुल किता 6	2.105		14.84
2	गोकुल नारायण पुत्र श्री नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहाम्ण सा.देह खातेदार(फौत)	756/1	0.525	बारानी 1	4.20
		757	0.22	बारानी 2	0.88
		758	0.22	बारानी 2	0.88
		759	0.23	बारानी 2	0.92
		761	0.23	बारानी 1	1.84
		762	0.68	बारानी 1	5.44
	कुल योग	कुल किता 6	2.105		14.16

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित कुर्रेजात में प्रतिवादी संख्या 1 गोकुल नारायण के स्थान पर प्रतिवादिया संख्या 2 विमला देवी को प्रतिस्थापित किया जाकर कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। तहसीलदार आमेर को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शो की एक प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्यामा सठौड़)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय** जयपुर व इजलास **श्यामा राठौड, आर.ए.एस**

वाद संख्या : 04/2019

1. साधुराम पुत्र गोदूराम, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर,(मृतक दौराने दावा)
   1/1 नन्दाराम पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु 45 वर्ष,
   1/2 रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु– 42 वर्ष,
   1/3 मदन पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु–40 वर्ष,
   1/4 गोपाल पुत्र स्वर्गीय साधुराम, आयु 38 वर्ष,
   1/5 सुरस्ती देवी पत्नी स्वर्गीय साधुराम आयु 65 वर्ष,
   समस्त जातियान गुर्जर, निवासीयान ग्राम पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०
   1/6 श्रीमती सूजी पुत्री स्वर्गीय साधुराम पत्नी श्री महादेव, आयु 55 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम–दताँला, गुर्जरों वाला, तहसील रामगढ़, जिला जयपुर, राज०
   1/7 श्रीमती धौली पुत्री स्वर्गीय साधुराम, पत्नी श्री श्योनाथ, आयु–30 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नहर बढारना, हरमाडा, जिला जयपुर, राज०

वादीगण

बनाम

1. गोकुल नारायण पुत्र श्रीनारायण, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम पीलवा, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राज०।
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी सुरज्ञान गुर्जर, निवासी ग्राम बगवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पे होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वाके ग्राम पीलवा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 304 के हाल खसरा नम्बर 755 लगायत 763 व 291, 761/942 कुल किता ग्यारह एवं रकबा 4.21 हैक्टेयर का तकासमा तहसीलदार आमेर जिला जयपुर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के मुताबिक वादी का वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबन्दी प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	गोपाल पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	291	0.50	बारानी 2	2.00
2	नन्दाराम पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	755	0.22	बारानी 1	1.76
3	मदन पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	761/942	0.39	बारानी 1	3.12
4	रामेश्वर प्रसाद पुत्र साधू हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार	763	0.54	बारानी 1	4.32
	कुल योग		1.65		11.20
1	गोकुल नारायण पुत्र श्री नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहाम्ण सा.देह खातेदार (मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान के अनुसार नोट खसरा संख्या 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762 पर स्थगन तह आदेश कमाक कोर्ट 13/1315 दिनांक 25.10.2013 नोट लगा हुआ है।)	756		बारानी 1	4.80
		757	0.22	बारानी 2	0.88
		758	0.22	बारानी 2	0.88
		759	0.23	बारानी 2	0.92
		760	0.38	बारानी 1	3.04
		761	0.23	बारानी 1	1.84
		762	0.68	बारानी 1	5.44

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

	कुल योग	कुल किता 7	2.56		17.80
	दोनो खातो का कुल योग	कुल किता 11	4.21		29.00

कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्ठि

क्रम संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	साधूराम पुत्र गोदूराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति गुर्जर सा.देह खातेदार (फौत)	291	0.50	बारानी 2	2.00
		756/2	0.075	बारानी 1	0.60
		755	0.22	बारानी 1	1.76
		760	0.38	बारानी 1	3.04
		761/942	0.39	बारानी 1	3.12
		763	0.54	बारानी 1	4.32
	कुल योग	कुल किता 6	2.105		14.84
2	गोकुल नारायण पुत्र श्री नारायण हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहाम्ण सा.देह खातेदार(फौत)	756/1	0.525	बारानी 1	4.20
		757	0.22	बारानी 2	0.88
		758	0.22	बारानी 2	0.88
		759	0.23	बारानी 2	0.92
		761	0.23	बारानी 1	1.84
		762	0.68	बारानी 1	5.44
	कुल योग	कुल किता 6	2.105		14.16

उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग–अलग खाता व लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2023 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ...सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रक) आम..
मुख्यालय-जयपुर

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.01.30 12:39:10 IST
Reason: SelfAttested

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।